

न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सुरेन्द्र भास्कर

मु.न. 145 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास

बनाम

नरेन्द्र पुत्र सत्यनारायण भार्गव जाति डाकोत निवासी चुड़ीचतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू

— अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक 22.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम फुसखानी के भूमि ख0न0 309/120 रकबा 14.62 किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.02 हैक्टर पर नरेन्द्र पुत्र सत्यनारायण भार्गव जाति डाकोत निवासी चुड़ीचतरपुरा ने बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ, लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूंकि उक्त अतिक्रमित भूमि गैर मुमकिन चारागाह है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी (सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 309/120 रकबा 14.62 है., किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.02 हैक्टर में बाड़ बनाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 20/-रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावे। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि गै.मु. चारागाह पर बनी बाड़ को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राज 4 के पृष्ठ संख्या 30 पर राशि
20 रूप्य 24 में मांग कर्ण
की।

(M)

(डॉ. सुरेन्द्र भास्कर)
तहसीलदार मंडावा
जिला झुंझुनू।
तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनू